06/9/24

[illegible] वादी अनुपस्थित
वकील वादी श्री अनुपस्थित। प्रतिवादी
सूचनार्थ नोटिस तामील श्री अनुपस्थित
कोई नहीं बने हुए। आवश्यक रिपोर्ट नहीं वादी
का वादी वकील के ने कोई श्री उपस्थित नहीं
किया। वादी वादी अनुपस्थित व प्रतिवादी
ने स्वीकार किया नहीं। पत्रावली निरस्त
किया जाता है। आदेश दे प्रतिवादी
पक्ष विरुद्ध एकपक्षीय दिया। निगरानी आज
के तक लिखाया पत्रावली दिनांक 06/9/24
को प्रतीक्षा में।

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्य
23/8/24	पत्रावली पर मुद्दा अन्तर्गत आदेश 20 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रावधान किए जाने का प्रावधान किया है। पत्रावली पक्षकारों को पेश हो। प्रतिलिपिनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30/8/24 को पेश हो।
30/8/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर अग्रिम बहस हेतु अवसर दिया जाता है। आज दि० 06/9/24 को पेश हो।
06/9/24	आज पत्रावली पेश हुई। आज इस प्रकरण में संक्षिप्त इस तरह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी में स्थायी विवाह होने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 20 माह हुआ दिनांक को अप्रार्थी व अप्रार्थी में स्थायी विवाह होने के कारण पत्नी के रूप में रहने लगी। पत्नी को अप्रार्थी के संतान उत्पन्न हुई।